

तारीख/Date 10 01 19

लोट 1 - कोंतम 9 हेतु, परटे पर ली गई शब्द से अभ्रिपय अचल संपत्ति को वर्ष दर वर्ष अथवा एक वर्ष से अधिक किसी अवधि हेतु परटे पर तेने अथवा वार्षिक किसये पर रिजर्व रखने से होगा । तथापि, जहां अवल संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति से पट्टे पर प्राप्त की गई जिससे सरकारी कर्मचारी आधिकारिक तौर पर संबंध है, ऐसे पटटे की अवधि कम हो अथवा ज्यादा, किसए के मुगतान की आवधिकता के बादजुद कॉलम में दर्शाया जाए ।

हरनाक्षर/Signature

Note 1 – For purpose of Column 9, the term lease would mean a lease of immovable property from year to year or for any term exceeding one year or reserving a yearly rent. Where, however, the lease of immovable property is obtained from a person having official dealegs with the Government servant, such a lease should be shown in this column irrespective of the term of the lease, whether it is short term or long term, and the periodicity of the payment of rent.

नोट 2 - कॉलम 10 में निम्नांकित दर्शाएं -

क) जहां संभति खरीद, बंधक अथवा पट्टे पर अर्जित की गई हो, तो ऐसे अधिग्रहण हेत् अदा किया गया मूल्य अथवा प्रीमियम ;

ख) जहां यह पट्टे पर अधिग्रहित की गई हो, तो इसका कल वार्षिक किराया भी ; तथा

ग) जहां अधियहण उत्तराधिकार, उपहार अथवा अदला बदली द्वारा किया गया हो, तो ऐसी अधिशहित संपति का अनुमानित मूल्य

Note 2 - in Column 10 should be shown -

a) Where the property has been acquired by purchase, mortgage or lease, the price or premium paid for such acquisition ;

b) Where it has been acquired by lease, the total annual rent thereof also ; and

c) Where the acquisition is by inheritance, gift or exchange, the approximate value of the property so acquired.